

असाधारण

EXTRAORDINARY भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1258]	नई दिल्ली, <b>शुक्र</b> वार, मई 20, 2016⁄वैशाख 30, 1938	
No. 1258]	NEW DELHI, FRIDAY, MAY 20, 2016/VAISAKHA 30, 1938	

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मई , 2016

**का.आ. 1839(अ)**.—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 2 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं.का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 में एतद्वारा और निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

अनुसूची में, क्रम सं. 26 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

क्र. सं.	नया रारा सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
(1)	(2)	(3)
26	8	असम राज्य में करीमगंज के निकट रारा सं.37 के साथ अपने जंक्शन से प्रारंभ होकर त्रिपुरा राज्य में पत्थरकंडी, चुरईबाड़ी, अंबासा, तेलियामुला, अगरतला, उदयपुर, सबरूम को जोड़ने वाला और भारत/बांग्लादेश सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।

[फा.सं. एनएच-14012/9/2016-पीएंडएम]

माया प्रकाश, निदेशक (पी एंड बी)

2553 GI/2016

**पाद टिप्पण**: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) और इसकी अनुसूची, भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एसआरओ 1180 तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 689 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2011 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और अंतिम बार अधिसूचना संख्या का. आ. 696(अ) तारीख 10 मार्च, 2015 द्वारा संशोधित किया गया था।

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 17 th May, 2016

**S.O. 1839 (E).** — In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) vide number S.O. 689(E) dated the 4<sup>th</sup> April, 2011, namely:-

In the Schedule, for serial number 26 and entries relating thereto, the following shall be substituted namely:-

## Table

Serial No.	New National Highway No.	Description of National Highways
(1)	(2)	(3)
26	8	The highway starting from its junction with NH No. 37 near Karimganj in the state of Assam connecting Patharkandi, Churaibari, Ambasa, Teliamura, Agartala, Udaipur, sabrum and terminating at Indo/Bangladesh border in the state of Tripura.

[F. No. NH-14012/9/2016-P&M]

MAYA PRAKASH, Director (P&B)

Footnote:-The National Highways Act, 1956 (48 of 1956) and the Schedule thereto was published in the Gazette of India vide notification number S.R.O. 1180 dated 4<sup>th</sup> April, 1957 and was substituted vide notification number S.O.689 (E), dated 4<sup>th</sup> April, 2011 and last amended vide notification number S.O. 696 (E), dated 10<sup>th</sup> March, 2016.